EMAIL

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/संशो./1454 भोपाल दिनांक 16/06/2022

आदेश

म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश की मण्डी समितियो के लिये लागू "उपविधि सन 2000" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/06/2022 तक उपविधि सन 2000 मे कंडिका 18(6) के पश्चात निम्न कंडिका 18(6)(अ) अनिवार्य रूप से स्थापित करें, अर्थात:

कंडिका 18(6)(अ) : उपरोक्त बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (वेब्रिज) के संचालन हेतु ऑपरेटर, जो कि मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज का स्वामी होने की स्थिति में भिन्न व्यक्ति होगा, को मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति लेना होगी। ऑपरेटर द्वारा विक्रेता की तौल से संतुष्टि और सहमति उपरांत ही विक्रय कृषि उपज की तौल पर्ची जारी की जा सकेगी।

विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा "उपविधि सन 2000" में उपरोक्तानुसार संशोधन करने मे असफल रहने की स्थिति मे उक्त संशोधन म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 01/07/2022 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होंगे।

(विकास नरवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/संशो./1455 भोपाल दिनांक 16/06/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. संयुक्त/उप संचालक म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

   साथ ही मंडी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/2020-21/408 दिनांक 26.06.2020 द्वारा "हम्माल-तुलावटीयों को **बिना कार्य के भुगतान न करने** बाबत" विषयक जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये। उक्त पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि उपविधि मे विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार उपरोक्त संशोधन को स्थापित कर पालन प्रतिवेदन ऑचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
4. आईटी सेल। वेबसाइट पर अपलोड करावे।
5. प्रांगण/निर्माण/वित्त/एमआईएस शाखा/गार्ड फाइल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल